न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 94 / 2018 दायरा दिनांक : 12.06.2018

उनवान

1— नरेन्द्र आयु 50 वर्ष पुत्र श्री रामचरण, जाति गालव (ब्राहमण), निवासी ग्राम कोलूखेड़ा, तहसील छबडा, जिला बारां

2— महेन्द्र आयु 55 वर्ष पुत्र श्री रामचरण, जाति गालव (ब्राहमण), निवासी ग्राम कोलूखेड़ा, तहसील छबडा, जिला बारां

3— लक्ष्मीनारायण आयु 60 वर्ष पुत्र श्री भंवरलाल, जाति गालव (ब्राहमण), निवासी ग्राम कोलूखेड़ा, तहसील छबडा, जिला बारां

4— जयनारायण आयु 50 वर्ष पुत्र श्री रामकिशन, जाति गालव (ब्राहमण), निवासी ग्राम कोलूखेड़ा, तहसील छबडा, जिला बारां

5— नवल आयु 40 वर्ष पुत्र श्री मोहनलाल, जाति गालव (ब्राहमण), निवासी ग्राम कोलूखेड़ा, तहसील छबडा, जिला बारां

6— पप्पू उर्फ हंसराज आयु 40 वर्ष पुत्र श्री कन्हैयालाल, जाति गालव (ब्राहमण), निवासी ग्राम कोलूखेड़ा, तहसील छबडा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— मंदिर रामजानकी जी ग्राम कोलूखेड़ा, तहसील छबडा, जिला बारां जर्ये पुजारी (संरक्षक एवं प्रबन्धक जिसे अपीलांट स्वीकार नहीं करते)

1— महावीर उर्फ महेश आयु 35 वर्ष पुत्र स्व0 मांगीलाल, जाति बैरागी, निवासी ग्राम कोलूखेड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2— हेमराज आयु 33 वर्ष पुत्र स्व0 मांगीलाल, जाति बैरागी, निवासी ग्राम कोलूखेड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

3— पंकज आयु 28 वर्ष पुत्र स्व0 मांगीलाल, जाति बैरागी, निवासी ग्राम कोलूखेड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4— नन्दू आयु 37 वर्ष पुत्र स्व0 मांगीलाल, जाति बैरागी, निवासी ग्राम कोलूखेड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

5— मांगीबाई आयु 60 वर्ष बेवा स्व0 मांगीलाल, जाति बैरागी, निवासी ग्राम कोलूखेड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित —श्री देवकी नन्दन गालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 12.02.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या — 57/2017 निर्णय दिनांक 01.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट वादीगण द्वारा ग्राम कोलूखेड़ा, तहसील छबड़ा में रामजानकी जी मंदिर की विवादित आराजी का स्वयं को पुजारी एवं प्रबन्धक बता कर कुल 7 किता भूमि रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा को जगन्नाथ बैरागी के नाम खातेदारी में अवस्थित होना बताकर एवं स्वयं को जगन्नाथ का वारिस बताते हुए प्रतिवादीगण अपीलांट द्वारा उक्त भूमि के काश्त में बाधा का आक्षेप लगाते हुए न्यायालय से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया था । जबकि श्री रामजानकी मंदिर गालव समाज का मंदिर है और उस मंदिर के नाम खातेदारी में दर्ज विवादित भूमियां गालवों के पूर्वजों द्वारा ही भेंट में दी हुई है और गालव समाज अपनी व्यवस्था से काश्त करवाता है । उक्त भूमि पर

पुजारी का कोई हक नहीं है । रेस्पोडेंट के पूर्वजों ने राजस्व कर्मचारियों से मिली–भगत करके एक बार अपना नाम बहैसियत पुजारी राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा लिया था, जिसे अपीलांट के पूर्वजों ने हटवा दिया था और वर्तमान में विवादित आराजी मंदिर की खातेदारी में दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 01.06.2018 को दीगोद केम्प पर प्रार्थना पत्र की सुनवायी करते हुए रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्थानान्तरित कर विवादित आराजी पर तहसीलदार, छबड़ा को रिसीवर नियुक्त कर दिया गया तथा यह भी निर्देशित किया कि रेस्पोडेंट अप्रार्थीगण मंदिर की सेवा पूजा में कोई दखल अन्दाजी न करें । उपरोक्त निर्णय विधि के सिद्धांतों के विपरीत एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल है । मूल आवेदन में रिसीवर नियुक्ति का प्रार्थना पत्र नहीं होते हुए भी प्रार्थना पत्र को धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्थानान्तरित करना बताकर जो रिसीवर कायम की गई है, वह विधि के सिद्धांतों के विरूद्ध है । पूजा के अधिकारों की घोषणा दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार है । अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर जो निर्णय पारित किया है, वह अपास्त होने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मंदिर सार्वजनिक है । रेस्पोडेंट उस पर कब्जा करना चाहते हैं तथा न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर प्लीडिंग के विपरीत निर्णय पारित किया है, जो विधि अनुकूल नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि मंदिर गालव समाज का होने का कोई प्रूफ नहीं है तथा हम तीन पीढ़ी से इसकी पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अध्ययन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों के अनुसार उपरोक्त विवादित आराजी मंदिर रामजानकी जी के नाम जरिये पुजारी जगन्नाथ वल्द तुलसी सम्वत 2012–31 की जमाबंदी में दर्ज है । सम्वत 2043–48 की जमाबंदी में मंदिर रामजानकी जी जरिये मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ के नाम उपरोक्त विवादित आराजी दर्ज है । रिज्यूम माफी के आदेश के पश्चात उपरोक्त विवादित आराजी श्री रामजानकी जी के नाम दर्ज है । अतः यह निर्विवादित सत्य है कि उपरोक्त आराजी मंदिर श्री रामजानकी जी के नाम दर्ज है । मूर्ति नाबालिग है यह ऐडमीटेड तथ्य है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र लगाया गया था जिसमें धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट को उपरोक्त आराजी में दखल अन्दाजी नहीं करने के लिए पाबन्द करने हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2018 को राजस्व लोक अभियान में बिना तथ्यों की जांच किये केवल आमजन से पूछताछ एवं शांति व्यवस्था के बिगड़ने की संभावना के आधार पर उपरोक्त विवादित आराजी की रिसीवर में तहसीलदार छबडा को नियुक्त कर दिया गया । वकील अपीलांट द्वारा इस सम्बन्ध में नजीरें भी पेश की गई हैं । 1970 आर आर डी पेज 537, 1972 आर आर डी पेज 207, 1973 आर आर डी पेज 617, 1974 आर आर डी पेज 129, 1998 आर आर डी पेज 697, 1985 आर आर डी पेज 214, 1990 आर आर डी पेज 188, 1991 आर आर डी पेज 351 उद्धरत की ।

उपरोक्त समस्त तथ्यों का विवेचन एवं नजीर आदि का अध्ययन तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय इत्यादि के मध्य नजर बिना तथ्यों की जांच किये रिसीवरी को कायम करना एक कठोरतम कार्यवाही है । क्योंकि रिसीवर नियुक्त किये जाने के लिए यह सिद्ध किया जाना भी आवश्यक है कि विवादित आराजी के दुरूपयोग किये जाने की अथवा अन्य विवाद इत्यादि उत्पन्न होने की संभावना होगी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकार से रिसीवरी कायम कर किसी को उसके कब्जे काश्त से वंचित करना गलत है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मेंटेनेबल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तथ्यों की गहनता से जांच करें तथा यह भी सिद्ध करें कि सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीयक्षति किस के पक्ष में है । तत्पश्चात गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.04.2019 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा